JALAUN POLICE

दिनांक- 17.11.2026

कोतवाली जालौन पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना मे वांछित 02 अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड़ के दौरान तथा मुख्य अभियुक्त सहित कुल 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से आलाकत्ल(खून से सना हथौडा),रक्त रंजित कपडे, अदद अवैध असलहा, जिंदा/खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल इत्यादि बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 14.11.2026 को ग्राम कुसमरा में राजेश कुमार सलौनिया पुत्र स्व0 श्री नरायणदास निवासी ग्राम कुसमरा थाना जालौन जनपद जालौन की हुई हत्या के संबंध में वादी श्री मंयक प्रताप सिंह पुत्र राजेश कुमार निवासी ग्राम कुसमरा कोतवाली जालौन जनपद जालौन द्वारा कोतवाली जालौन पर प्रार्थना पत्र देकर मु0अ0सं0 261/2026 धारा 191(2),191(3),190,126(2),352,103(1) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय, झांसी परिक्षेत्र, झांसी श्री आकाश कुलहरि के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन श्री सुरेश चन्द्र रावत के पर्यवेक्षण तथा अपर पुलिस अधीक्षक जालौन डॉ0 ईशान सोनी के नेतृत्व में घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। कोतवाली जालौन पुलिस टीम बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे अण्डर ओवरब्रिज से ग्राम औरेखी की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर घेराबंदी की गई। खुद को पुलिस से घिरा देख मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई तो पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलायी गयी। जिसमें उक्त हत्या में शामिल 02 अभियुक्तगण निखिल पुत्र राजकुमार व संदीप पुत्र कन्हैयालाल पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से घायल हुए। अभियुक्तगण के कब्जे से अवैध असलहे व जिंदा/खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल इत्यादि बरामद। अभियुक्तगण को प्राथमिक उपचार हेतु तत्काल अस्पताल रवाना किया गया है ।

कोतवाली जालौन पुलिस टीम द्वारा उरगांव-पहाड़पुरा तिराहा पुलिया के पास से उपरोक्त मुकदमे मे वांछित अभियुक्त राजकुमार पुत्र जियालाल निवासी ग्राम कुसमरा थाना जालौन जनपद जालौन को गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि दिनांक 14.11.2026 को उसने अपने भाई कन्हैयालाल , मिथलेश , पुत्र निखिल तथा भतीजे संदीप के साथ मिलकर राजेश कुमार सलौनिया की फावड़े व हथौड़े से मारकर हत्या कर दी थी। अभियुक्त की निशानदेही पर पर्वतपुरा व कुसमरा के मध्य नहर पुलिया की दाहिनी पटरी पर झाड़ियों व बड़े पत्थर के नीचे छिपाकर रखा गया आलाकत्ल (खून से सना लोहे का हथौड़ा) तथा सह-अभियुक्तगण निखिल व संदीप द्वारा घटना के समय पहनी गई दो खून से सनी शर्ट बरामद की गईं ।

मुठभेड़ के संबंध में थाना कोतवाली जालौन पर मु0अ0सं0 265/2026 धारा 109 बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) व 9/25/28 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 261/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/126(2)/352/103(1) बीएनएस, थाना कोतवाली जालौन, जनपद जालौन (तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध)।

2. मु0अ0सं0 265/2026 धारा 109 बीएनएस व 9/25/28 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली जालौन, जनपद जालौन (अभियुक्त निखिल व संदीप के विरुद्ध)।

3. मु0अ0स0 179/2025 धारा 74/76/3(5)/351(2) bns व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना जालौन जनपद जालौन (तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध)।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:

1. राजकुमार पुत्र जियालाल उम्र करीब 51 वर्ष, निवासी ग्राम कुसमरा थाना कोतवाली जालौन, जनपद जालौन।
2. निखिल पुत्र राजकुमार उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम कुसमरा थाना कोतवाली जालौन जनपद जालौन (मुठभेड़ में घायल)।
3. संदीप पुत्र कन्हैयालाल उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम कुसमरा थाना कोतवाली जालौन जनपद जालौन (मुठभेड़ में घायल)।

बरामदगी का विवरण:

1.एक अदद लोहे का हथौड़ा (आलाकत्ल, खून से सना हुआ)
2. दो अदद खून से सनी शर्ट (एक चेकदार सफेद व एक नीली, घटना के समय पहनी गई)
3. दो अदद अवैध तमंचा 315 बोर
4. पांच अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
5. दो अदद खोखा कारतूस 315 बोर
6. 01 अदद मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस (रजिस्ट्रेशन नं0 UP 92 AE 4280)
7. 730/- रुपये नगद (जामा तलाशी से बरामद—380/- व 350/- रुपये)

पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जालौन मय पुलिस टीम।